



कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा-द/स्माईल-2.0/वोल-1/66172/2020-21/6

दिनांक : 22.01.2021

::कार्यालय आदेशः


उपायुक्त विशेष योग्यजन, न्यायालय आयुक्त विशेष योग्यजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, के पत्र क्रमांक : एफ1 () IDA/आयु.वियो.जन./20/1950 दिनांक 18.12.2020 के क्रम में समस्त संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि विद्यालयों में संचालित स्माईल 2 कार्यक्रम के अंतर्गत दृष्टिबाधित शिक्षकों हेतु रिकॉर्ड संधारण की वैकल्पिक व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। साथ ही एक अन्य शिक्षक को उक्त दृष्टिबाधित शिक्षक के सहयोगार्थ सहप्रभारी बनाते हुए उसकी जिम्मेदारी तय करें।


(सौरभ स्वामी)

आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. उपायुक्त विशेष योग्यजन, न्यायालय आयुक्त विशेष योग्यजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
5. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी; (मुख्यालय) – माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
8. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
10. समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान, समस्त राजकीय विद्यालय।
11. उप निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर/सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
12. सहायक निदेशक, सतर्कता अनुभाग, कार्यालय हाजा।
13. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई-मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
14. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
15. रक्षित पत्रावली।


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर